राजनीति में महिलाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण

*डॉ. संध्या गुप्ता

पृष्ठभूमि

लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता एवं राजनीतिक निर्णयों में उसकी भागीदारी के कारण शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता है। अर्थात् लोकतंत्र केवल राजनीतिक परिस्थिति या शासन चलाने की एक पद्धति मात्र ही नहीं है अपितु यह एक विशेष सामाजिक व्यवस्था, एक विशेष मनोवृत्ति एवं जीवन जीने की एक विशेष प्रणाली भी है। प्रस्तुत आलेख का मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। इस आलेख के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी देश के विकास के लिए राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि महिलाओं को समान वैधानिक व राजनीतिक अधिकार दिये जायेंगे तभी भारत का विकास सार्थक हो पायेगा। अर्थात् राजनीति मे महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी और सत्ता में उनकी समान हिस्सेदारी के बिना हमारी आधुनिकता, विकास और सभ्यता, सब कुछ बेमानी है, इसलिए राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी के लिए समाज के सभी वर्गों को प्रयास करने होंगे। सभी लोगों को अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिताएक विवादित मुद्दा है और इस पर सभी विद्वानों की राय बहुत विविध और भिन्न है।एक ओर, कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अंतर्निहित गतिशीलता और अंतर्विरोधों से भरी हुई है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर सत्ता साझा करने से बाहर करती है। अर्थात् राजनीतिक आवाज की कमी और संसद में महिलाओं का खराब प्रतिनिधित्व लिंग के आधार पर बहिष्कार का परिणाम है।दूसरी ओर ऐसे सिद्धांतकार हैं जो महसूस करते हैं कि वर्षों से महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक स्हभागिता और विभिन्न स्तरों पर महिलाओं द्वारा राजनीतिक शक्ति का बंटवारा दर्शाता है कि राजनीति लिंग विशेष नहीं बल्कि समावेशी है।इन सिद्धांतकारों का तर्क है कि कई राज्यों में महिलाओं के आंदोलनों की ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ–साथ सरकार द्वारा विनियमित आरक्षण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता,महिलाओं को एक बेहतर और अधिक समान समाज की दृष्टि पर कार्रवाई करने और समावेशी राष्ट्रीय विकास की दिशा में सार्थक योगदान देने की प्रेरणा प्रदान करती है।महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति और सहभागिता की सीमा और प्रभावशीलता पर समाज या राज्य की प्रकृति का निर्णायक प्रभाव पड़ता है।

शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समाज में सशक्त, समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती है। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती है अपितु भावी पीढ़ियां भी लाभान्वित होती है। शिक्षा एक ऐसी सम्पत्ति है जिसे न छीना जा सकता है और न हीं बांटा जा सकता है। दूसरी ओर ऐसा हथियार भी है जिसके बल पर कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है, अब चाहे वह शोषण, असमानता, अन्याय, अनाचार के विरूद्ध ही क्यों ना हो।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के समय–समय पर अनेक प्रयास किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। भक्तिकाल में नारियों को पुरूषों के समान भक्ति के योग्य माना, जिसके फलस्वरूप अनेक महिला सन्तों ने विशेष स्थान बनाया जिसमें प्रमुख हैं – मीराबाई, मुक्ताबाई, केसमाबाई, गंगूबाई व जानी। अकबर ने बाल विवाह, बेमेल विवाह, सती प्रथा को रोकने की दिशा में कार्य किया। राजा जयमल की विधवा को अकबर ने सती होने से रोका था तथा पुर्तगाली गवर्नर अल्बु कक्र ने अपनी 'आलमदारी' में इस प्रथा के विरूद्ध आदेश प्रसारित करवाए। महिलाओं की दशा को सुधारने में अनेक समाज सुधारकों ने महत्ती भूमिका निभाई। जिनमें प्रमुख थे–राजराममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासगर, वीर सांलिगम, दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविन्द रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, केशबकवे, बहरामजी मालाबरी, गोपाल कृष्ण आगरकर, हरिदेशमुख इत्यादि। महिला समाज सुधारक में पण्डित रमाबाई, रमाबाई रानाडे, स्वर्ण कुमारी देवी, रानी स्वर्णमयी, सावित्री बाई फूले, आनन्दीबाई जोशी ने अपना योगदान दिया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं ने अपने प्राणों की आहूति देकर इस देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें हैं – राजकुमार अमृतकौर, गन्नोदेवी, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, कमला देवी, सुहासिनी गांगुली, कमला देवी चटोपाध्याय, सरोजदास नाग, सुशीला, जमुनाबाई, दुर्गा बाई देशमुख, कस्तुरबा गांधी, बेगम हजरत महल, शान्ति घोष, सरोजनी नायडू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लम्बीबाई, अरूणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, रानी चैन्नई या, दुर्गा देवी वोहरा, प्रीतिदत्त पोद्दार, मीमाबाई, इन्दूमति सिंह, रानी अवन्तिबाई, रानी ईश्वरी कुमारी, मीरा पन्ना, रेशू मेन, कुमारी मैना, लाडो रानी, कल्याणी दास, शोभारानी आदि।

भारत में महिला राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के तहत बढ़ती जन सहभागिता में आधा हिस्सा समाज के महिला संवर्ग द्वारा बनाया जाता है।

सदियों से, समाज में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई और राजनीतिक रूप से उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया।केवल बीसवीं शताब्दी में, विशेष रूप से महात्मा गांधी के करिश्माई नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, महिलाओं की सहभागिता को भारत में एक प्राकृतिक पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया था।विकास के जानकारों का मानना है कि अगर किसी देश की महिला आबादी, जो कि कुल का लगभग 50 प्रतिशत है, को दूर रखा जाता है और समान अवसरों से वंचित किया जाता है, तो उस देश का पूर्ण और संपूर्ण विकास संभव नहीं है। महात्मा गांधी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की सहभागिता की इस क्षमता को महसूस करने वाले पहले प्रमुख भारतीय नेता थे।

महात्मा गांधी ने कहा था, पुरुष और महिला समानता तभी प्राप्त करेंगे जब लड़की का जन्म लड़के के मामले में उतनी ही खुशी के साथ मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने महिलाओं को आगे आने और पुरुषों के साथ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया।यह रिकॉर्ड में है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किए गए 30,000 व्यक्तियों में से 17,000 महिला स्वयंसेवक थीं।तदनुसार उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महिला शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म ने महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया।1900 में स्वर्ण कुमारी और जे. गंगोली ने बंगाल के प्रतिनिधियों के रूप में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया।श्रीमती

गंगोली कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला थीं। यह शायद नए युग की शुरुआत थी और उसके बाद महिलाओं ने देश की राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से सक्रिय भाग लिया।

1919 में पहले सत्याग्रह के बाद से महिलाओं ने राजनीति में तेजी से भाग लेना शुरू कर दिया।

भारत में, 1937 में महिलाओं को सीमित वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था।तब से, महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में, मतदाताओं के रूप में, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के रूप में, राज्य विधानसभाओं और संसद दोनों में विचार–विमर्श में शामिल रही हैं और सरकार में विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक पद धारण कर रही हैं।

अतः राजव्यवस्था में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद ग्रामीण भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रश्न ने काफी महत्व प्राप्त कर लिया है। यह संशोधन सभी जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों और अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है देश और इस अधिनियम ने भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और सशक्तिकरण में एक मूक क्रांति ला दी है।

राजस्थान, पंचायती राज एवं महिला राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से विशिष्ट रहा है। यहाँ न केवल पंचायत व्यवस्था का विधिवत शुभारम्भ हुआ वरन् मार्च, 2008 में राजस्थान की तात्कालीन मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की जो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए वरदान के रूप में राजनीतिक भागीदारी हेतु मील का पत्थर साबित हुआ। अतः राजस्थान में पंचायती राज स्तर पर 2010 में हुए चुनावों में महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये परिणामतः अप्रत्याशित रूप से महिला राजनीतिक सहभागिता में विस्तार हुआ।

आलोचनात्मक विवरण –

जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, महिलाओं की भूमिका नगण्य है, विभिन्नराजनीतिक दबावों का प्रतिकार करने का परिणाम चरित्र हनन होता है तथामहिलाओं को यह विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वर्तमानराजनीतिक संस्कृति ही ऐसी है कि समझौता करना अपरिहार्य है। आज राजनीतिक दल वोट बैंकों के रूप में महिलाओं के महत्व कोसमझते हैं। अतः महिला सदस्यों का उपयोग महिलाओं के वोट प्राप्त करने केलिए करते हैं। यह सही है कि वर्तमान नजरिया उस पहले नजरिये से बेहतर हैजो महिला मतदाताओं की अवहेलना इस आधार पर करता था कि उनकी अपनीस्वतंत्र पहचान या पसंद नहीं है। परन्तु राजनीतिक दलों का रूख अब भीमहिलाओं को अपने अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम में लाने का है।इस कारण आज अधिकतर महिला उम्मीदवार वे हैंजिनके पास कुछ स्वतंत्र साधन हैं।

स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचित महिलाओं की एक बड़ी संख्याशिक्षकों, वकीलों और अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं की हैं। चाहे साक्षर हो या उतनीसाक्षर न हो, महिला सदस्यों को अपने समकक्षों तथा नौकरशाही से पहचान प्राप्तकरने की समस्या का सामना करना पड़ता है।अधिकारी तंत्र, विशेषकरस्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा बाधक है, समाज तथा पंचायत के पुरूषों से कहींअधिक। पितृसत्ता तथा अधिकारी तंत्र, दोनों को महिलाएं बर्दाश्त नहीं करसकतीं।

वैसे तो भारतीय संविधान सरकार बनाने की प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं की समान राजनीतिक स्हभागिता के प्रावधान प्रदान करता है लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। महिलाओं की कम राजनीतिक सहभागिता और सशक्तिकरण में जहां रूढियां एवं बंधन उत्तरदायी हैं वहीं अनके समसामायिक परिस्थितियां हैं जो बाधक एवं समस्याओं के रूप में विद्यमान हैं इनमें प्रमुख अग्रलिखित हैः–

- सामाजिक–सांस्कृतिक कारक
- धार्मिक कारक
- आर्थिक कारक
- राजनीतिक कारक
- शिक्षा की कमी
- लिंग आधारित मुद्दे
- महिला आत्म–सशक्तिकरण
- कम महिला सदस्यता
- राजनीति में पुरुष प्रधानता
- प्रशासनिक कार्यों में प्रशासन का असहयोग
- दूषित राजनीतिक वातावरण
- पूर्व प्रभावशाली व्यक्तित्व व नेताओं का दबाव
- भ्रष्टाचार
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा
- महिलाओं के कार्यों को कम आंकना
- महिलाओं के प्रति भेदभाव
- महिलाओं को लकेर राजनीतिक दलों की उदासीनता

सुझावः महिलाओं का राष्ट्र के विकास में समुचित योगदान हा`सके, नारी शक्ति को देश के विकास में सदुपयोग करने के लिए इस बात का`ध्यान में रखते हुए नारी के मार्ग मे ंआने वाली बाधाओं को दूर कर उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हिस्सा लेने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि नारी को पुरूषों के समकक्ष समाज में सम्मान दिया जाये उन्हें भी महत्वपूर्ण समझा जाये। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करने में समान अवसर उपलब्ध कराये जायें। जिससे वे एक सजग प्रहरी की भांति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर सभी वर्गो के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ–साथ देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। नारी की वर्तमान स्थिति को दृष्टि में रखते हुए निम्न लिखित प्रयास किये जाये ंतो महिलाएँ अन्य क्षेत्रों की भांति राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश कर, नारी वर्ग का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ – साथ देश के विकास में भी निश्चय ही अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगी।

1. देश में एक स्वस्थसामाजिकसंरचना पर बल दिया जाना चाहिए।
2. महिलाओं को समाज में अर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी तब वे स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रवेश कर सकती है।

3. महिलाओं के पारिवारिक दायित्वों में बदलाव किया जाना चाहिए।
4. राजनीति में एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु पूर्णसुरक्षा की भावना विकसित की जानी चाहिए।
5. महिलाओं में वैज्ञानिक व विकसित सोच को बढावा देना चाहिए।
6. राजनीति में महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए।
7. प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए।
8. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढाने के एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए।
9. महिलाओं में राजनीतिक क्रियाशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए राजनीतिक दलों, महिला संगठनों एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों को सहयोग करना चाहिए।
10. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढाने के एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय महिला राजनीतिक कार्यकर्ता कल्याण कोष की स्थापना करनी चाहिए।
11. स्वस्थ राजनीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि महिलाएँ इसमें प्रवेश करने में नहीं हिचकिचाएगी।
12. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को जमीनी स्तर पर और पहल करनी चाहिए।
13. महिलाओं को राजनीतिक दल में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए, मतदान के अधिकार से शुरू होकर राजनीतिक सदस्यता लेने और राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
14. राजनीतिक दलों की महिला सदस्यों को नेतृत्व प्रशिक्षण देकर भावी महिला नेताओं के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
15. अशिक्षित महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

***व्याख्याता**
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय
कोटा (राज.)

सन्दर्भ सूची

- अग्रवाल,प्रमोदकुमार (2003).भारत में पंचायतीराज, ज्ञानगंगा प्रकाशन, नई दिल्ली
- आप्टे,प्रभा,(1981).भारतीय समाज में नारी की स्थिति, तरूण प्रकाशन, बीकानेर
- आमंड एवं वर्षा, (1963). द सिविल कल्चर,पॉलिटिकल एटिट्यूट्स एंड डेमो क्रेसी इन फाइव नेशन्स, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्सटन
- आदिस शाह, एस. मैलकम (1994). डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड पंचायतीराज, कॉनसेप्ट पब्लिकेशन्स,न्यू देहली

- कालमेन,जे. टुपर्ड (1994). इम्पावरमेंट : वूमेन एंड पॉलिटिक्सइन इंडिया, वेस्ट व्यू प्रेस,कोलीरडो
- कार्ल मारिली (1995). वुमेन एंड इम्पावरमेंट पार्टिसिपेशन एंड डिसिजन–मेकिंग, जेड बुक लिमिटेड, लन्दन
- कोठारी, रजनी (1970). पॉलिटिक्स इन इंडिया, ओरियंटलागमेंस,नई दिल्ली
- कौशिक, सुशीला (2003).वुमेन्स एंड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 11 खन्ना, बी,एल. (1994).पंचायती राज इन इंडिया – रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,दीप एंडदीप पब्लिकेशंस,नई दिल्ली
- खण्डेला, मानचन्द (2003). महिलासशक्तिकरण, अरिहंत पब्लिशिंग हाउस,जयपुर
- गौर, पी. पी. एवं आर. के. मराठा (2001). लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास, आदित्य पब्लिशर्स,
- टोपाध्याय, बी.सी. (1985).रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, एस चन्द एंड कंपनी, न्यू देहली
- जी. सरीर मूला, (2006). इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सैल्फ हैल्प ग्रुप स, कल्पाज पब्लिकेशन्स, देहली
- झा, पी. के. वन्दना (1999). पंचायती राज एंड डायनामिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऐपेक्स, देहली
- तिवाड़ी, रघुनाथ प्रसाद, रामलाल चौधरी एवं कंचनी सिंह चौधरी (1997). राजस्थान में पंचायत कानून, ऋचा प्रकाशन,जयपुर
- देसाई, नीरा (1982). भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन, दिल्ली
- देवी, लक्ष्मी, (1998).वुमेन्स पार्टिसिपेशनइन वर्क फोर्स, अनमोल पब्लिकेशन्स, न्यू देहली 29 दाहमा, ओप़ी. (1980). ग्रामीण नेतृत्वः ग्रामीण समाजशास्त्र, हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
- नागपाल, हंस (1967). लीडरशिप इन इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे
- नकवी, सैयद कुरबान अली (1989). सोशल चेन्ज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स,न्यू देहली
- पाटनी,चन्द्रा (2006).ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, जयपुर
- पुनिया, किरण (1997). भारत में प्रशासनिक अभिजन एवं राजनीतिक विकास, क्लासिक पब्लिकेशन, जयपुर
- पांडे, जी. एस. (2001). पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियाः इम्पलीमेंटेशन ऑफ 73 एंड 74 एमेन्डमेन्ट, न्यू रॉयल बुक, दिल्ली
- एम.एल.सोनी एवं संजीव गुप्ता (2010) महिला जागृति और सशक्तिकरण,अविष्कार पब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर
- सिंह, जे. दिल्ली एल., (2006) वुमेन एंड पंचायती राज, सनराइज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- सुराणा, राजकुमारी (2000) भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज, राज पब्लिकेशन्स हाउस, जयपुर
- श्रीवास्तव, सुधा रानी, (1997) भारत में महिलाओ ंकी वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स,नई दिल्ली

- त्रिवेदी, बी. आर., (2009) वुमेन एंड पंचायती राज, साइबरटेक पब्लिकेशन्स, न्यू देहली
- वर्षा, बी. किम, (1978) पार्टिसिपेशन एंड पोलिटिकल इक्विलिटी, ए सेवन नेशन्स कम्पेरिजन यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज
- वर्मा, एस. पी. , (1975) मॉडर्न पोलिटिकल थ्योरी, विकास प्रकाशन, दिल्ली
- वेपर, सी. एस. (1973) पोलिटिकल थाट, सेट पाल्स हाउस, लंदन
- वाल्जर, माइकल, (1983) स्फेयर्स ऑफ जस्टिस, बेसिड बुक्स, न्यूयार्क